दिनांक 10.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 10/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना महोली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.03.2023 को थाना महोली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुसैला नहर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बाबर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महोली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बाबर निवासी ग्राम टांडा गुरसंडा थाना पिसावां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जालौन/थाना डकोर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 09.03.2023 को थाना डकौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कालपी बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त शौकत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डकोर पर पंजीकृत अभियोग धारा 395/412 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डकोर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शौकत निवासी ग्राम सोहनपुर थाना मालाखेडा जनपद अलवर, राजस्थान।

जनपद गाजीपुर/थाना खानपुर

- **15—15 हजार रूपये के दो पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 10.03.2023 को थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साई की तकिया तिराहा बेलहरी मोड़ से 02 अभियुक्तों अमीरूद्दीन 2—नसीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खानपुर पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खानपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अमरूद्दीन निवासी ग्राम तराव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

2—नसीम निवासी तराव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन, 12 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09.03.2023 की रात्रि थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भावपुर पुलिय के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सारिक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट का 01 मोबाइल फोन, 12 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सारिक निवासी हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लूट का 01 मोबाइल फोन, 12 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना राठ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 570 रूपये**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 लोडर महिन्द्रा मैक्सिमो**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.03.2023 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—मुन्नु उर्फ पुष्पेन्द्र 2—करन 3—आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 14 हजार 570 रूपये, 01 लोडर महिन्द्रा मैक्सिमो, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना राठ क्षेत्र से अज्ञात बदमशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राठ पर धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो ंसे बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुन्नु उर्फ पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

2—करन निवासी ग्राम न्यूरी बासा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

3—आकाश निवासी ग्राम नन्दना थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–लूट के 14 हजार 570 रूपये।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 लोडर महिन्द्रा मैक्सिमो।

4–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना बड़ागॉव

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 मिनी ट्रक बरामद**

दिनॉकः 10.03.2023 को थाना बड़ागॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिंग रोड फेज–2 कोईराजपुर बरूणा नदी ओबर ब्रिज पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त मृत्युन्जय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 मिनी ट्रक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बड़ागॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मृत्युन्जय निवासी ग्राम कुरमी विगहा थाना वंशी सोनभद्र जनपद अरवल, बिहार।

- **जनपद सोनभद्र/थाना ओबरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01 जनपद सोनभद्र द्वारा थाना ओबरा पर पंजीकृत अभियोग में

धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ बंटी को आजीवन कारावास, 10 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 25 आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त 1–दुखहरन पुत्र जगराज सिंह निवासी अजमई मझेला थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 25 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———————